भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2477

दिनांक 10 दिसम्बर, 2024

सार्वजनिक और निजी कृषि विश्वविद्यालय

2477. श्री जगदम्बिका पाल :

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देशभर में सार्वजनिक और निजी कृषि विश्वविद्यालयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) इन विश्वविद्यालयों से प्रतिवर्ष स्नातक बनने वाले छात्रों की संख्या कितनी है और ब्यौरा क्या है; और
(ग) इन विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित कृषि अनुसंधान कार्यक्रमों और नवाचारों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री
(श्री भागीरथ चौधरी)

(क) : राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा प्रणाली (एनएआरईएस) के अंतर्गत केंद्र/राज्य सरकार के कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या की राज्य-वार सूची **अनुबंध-I** में दी गई है। कृषि शिक्षा सहित कृषि, राज्य का विषय होने के कारण निजी कृषि विश्वविद्यालयों की सूची रखना संबंधित राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है।

(ख) : शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के दौरान केंद्र और राज्य सरकार के सभी कृषि विश्वविद्यालयों में विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश/उत्तीर्ण होने के लिए उपलब्ध सीटों की कुल संख्या निम्नवत है :

(i) पूर्व स्नातक (यूजी) कार्यक्रम 13 विषयों में : 28677 छात्र
(ii) स्नातकोत्तर (पीजी) कार्यक्रम 81 विषयों में : 12985 छात्र
(iii) डॉक्ट्रेट (पीएच.डी.) कार्यक्रम 80 विषयों में : 9684 छात्र

(ग) : मुख्य रूप से परिशुद्ध कृषि (पोषक तत्व एवं जल उपयोग दक्षता), रासायनिक फुटप्रिंट को कम करने, फसल, मौसम और जल चक्रों में अधिक तालमेल के साथ प्रकृति-हितैषी खेती करने और पारिस्थितिकी दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए फसल नियोजन, अधिक पैदावार और उसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए विभिन्न दबावों के प्रति

सहिष्णु नई किस्मों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। निर्यात उन्मुख, पारिस्थितिकी तंत्र दृष्टिकोण, टिकाऊ खाद्य प्रणाली, स्मार्ट खेती, फसल-कटाई पश्चात् मूल्यवर्धन एवं उद्यमिता, किसानों व वैज्ञानिकों के बीच दो-तरफ़ा डिजिटल संवाद और स्मार्ट मशीनों के विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।

पशु एवं पशु चिकित्सा विज्ञान में अनुसंधान का मुख्य ध्यान देशी नस्लों के संरक्षण एवं सुधार, रोग निदान एवं नियंत्रण, आनुवंशिक सुधार एवं पशु प्रजनन, मूल्यवर्धित उत्पादों के विकास, पशु कल्याण तथा समग्र स्वास्थ्य दृष्टिकोण (वन हेल्थ अप्रोच) पर केंद्रित है।

मत्स्य विज्ञान में मुख्य ज़ोर जलजीव पालन के विविधीकरण, जैव-विविधता के मूल्यांकन और संरक्षण, नैनो-प्रौद्योगिकी एवं जैव-प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, आनुवंशिक सुधार एवं जीनोमिक्स, जल-जंतुओं के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन, समुद्री खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का मूल्यांकन और संवर्धन, मत्स्य पोषण, चारा तथा न्यूट्रीजीनोमिक्स, जलवायु-परिवर्तन और कार्बन पृथक्करण, सीमांत कृषकों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा पर है।

कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित कुछ नवोन्मेषी कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- अधिक उपज देने वाली तथा जलवायु-अनुकूल किस्में विकसित की गईं।
- छोटे किसानों के लिए मशीनीकरण और उपकरणों का निर्माण।
- एकीकृत नाशीजीव एवं रोग प्रबंधन पैकेजों का विकास किया गया।
- अलग-अलग तरह के कृषि जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए कृषि वानिकी सहित विभिन्न फसलों हेतु जैविक खेती और टिकाऊ पद्धतियों का विकास किया गया।
- मूल्यवर्धित फसल, बागवानी, डेरी और मछली उत्पादों का विकास।
- पशुधन का आनुवंशिक सुधार (उदाहरण के लिए कोसली मवेशी, छत्तीसगढ़ी भैंस और अंजोरी बकरी की नस्लें, बेरारी बकरी और पुरनाथड़ी भैंस नई पंजीकृत नस्लें हैं) और स्वदेशी नस्लों जैसे- ओंगोल, पुंगानूर, नेल्लोर, देवनी और अमृत महल, आलमबाड़ी, नाटूकुट्टई और साहीवाल मवेशी; विज़ियानगरम और बन्नूर भेड़; ओस्मानाबादी बकरी; सिरूविदाई चिकन और घर के अहाते में अन्य कुक्कुट पालन तथा देशी श्वान का संरक्षण।
- रोग निदान और नियंत्रण विकसित किया गया (ब्लू टंग और ब्रूसेला एबोर्टस, खुरपका एवं मुँहपका रोग (एफएमडी) तथा पेस्टे डेस पेटिट्स रूमिनेंट्स (पीपीआर) जैसे टीकों का विकास किया गया, रिमेरेलोसिस और गांठदार त्वचा रोग के विरूद्ध निष्क्रिय टीका और त्वरित निदान किट विकसित किए गए)।
- चयन के माध्यम से उन्नत रोहू 'जयंती', उन्नत कटला 'अमृत कटला' और उन्नत भारतीय मागुर 'महा-मागुर' विकसित की गई।
- मछली एवं मछली अपशिष्ट तथा समुद्री शैवाल आदि से विपणन योग्य मूल्यवर्धित उत्पाद और न्यूट्रास्यूटिकल्स विकसित किए गए।

****

अनुबंध - I

{लोक सभा के दिनांक 10.12.2024 के अतारांकित प्रश्न सं. 2477 का भाग (क)}

कृषि विश्वविद्यालयों की राज्य-वार सूची :

क्र.सं.	**राज्य**	**कृषि विश्वविद्यालयों के नाम**
1	आंध्र प्रदेश	04
2	असम	01
3	बिहार	03
4	छत्तीसगढ़	03
5	दिल्ली	01
6	गुजरात	06
7	हरियाणा	04
8	हिमाचल प्रदेश	02
9	जम्मू एवं कश्मीर	02
10	झारखंड	01
11	कर्नाटक	06
12	केरल	03
13	मध्य प्रदेश	03
14	महाराष्ट्र	06
15	मणिपुर	01
16	नागालैंड	01
17	ओडिशा	01
18	पंजाब	02
19	राजस्थान	06
20	तमिलनाडु	03
21	तेलंगाना	03
22	उत्तर प्रदेश	09
23	उत्तराखंड	02
24	पश्चिम बंगाल	04
	कुल	77

****